कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in ☎ - 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0ब0–22/2020– 155 दिनांक :– 26.02.2021

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल, राँची/गुमला वन प्रमंडल, गुमला/सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला/सारण्डा वन प्रमंडल, चाईबासा/चाईबासा वन प्रमंडल, चाईबासा/पाकुड़ वन प्रमंडल, पाकुड़/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, आदित्यपुर/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, चाईबासा/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, सिमडेगा।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2023–24 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत पथतट/संस्थानों आदि की भूमि पर पी0वी0सी0 जाली से निर्मित गमला गैबियन से वृक्षारोपण तथा पथतट/संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस गैबियन से वृक्षारोपण कार्य के लिए कुल **रू0 225.340 लाख (दो कराड़ पचीस लाख चौंतीस हजार रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंगः– वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0–25/2020–26/स्वी0 व0प0 दिनांक–27.01.2021 एवं आवंटन आदेश संख्या–04/यो0 बजट–25/2020–40/आ0 व0प0 दिनांक–29.01.2021 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष– 796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष–59–अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रू0 225.343 लाख (दो कराड़ पचीस लाख चौंतीस हजार रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601796590103	69.500
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601796590323	155.840
कुल :–		**225.340**

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक–1(क से ख)** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने–अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक–2(क से ख)** एव स्थल विवरणी **अनुलग्नक–3(क से ख)** पर तथा ऑन लाईन उप–आवंटन **अनुलग्नक–4** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या–19S240601796590103 तथा 19S240601796590323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान अन्तर्गत शामिल जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

5. ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं, उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा। राशि को स्वीकृत योजना तक सीमित रखा जायेगा।

7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार संहित के नियम–174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

9. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड होंगे।

10. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी का मार्गदर्शन किया जाएगा।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उनके नियंत्री पदाधिकारी तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक निम्न कार्य पर विशेष ध्यान करेंगे :–

(i) योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जाएगा।

(ii) नियमित रुप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि की भी समीक्षा करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।

(iii) नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं बैठकों का आयोजन Offline या online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी किया जाय।

(iv) ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, तद्नुसार निर्देश संबंधित पदाधिकारियों द्वारा निर्गत किया जाएगा। जहाँ नियंत्री पदाधिकारी की हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, उनका ध्यान आकृष्ट किया जाय।

(v) कोई Duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं किया जाय, यथा कैम्पा, वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास, पलामू व्याघ्र परियोजना, वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना, हाथी परियोजना इत्यादि।

(vi) दो या दो से अधिक स्त्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय ब्यौरा स्पष्ट रुप से अंकित रखा जायेगा।

(vii) विभिन्न आय स्त्रोतों पर धन राशि व्यय हो रही है, गत 3 वर्ष में आमदनी का ब्यौरा भी स्पष्ट किया जाय। यह राशि कोषागार में जमा की जाय। कंडम सामग्री का निष्पादन विधिवत स्थापित प्रक्रिया के तहत किया जाय। स्टाकपंजी इत्यादि तद्नुसार सत्यापित एवं update रहे।

11. Monitoring विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ–साथ निम्न व्यवस्था भी की जायेगी :–

(क) योजना का सामाजिक अंकेक्षण पूर्व तीन वर्षों का कराया जाय। वित्तीय वर्ष 2020–21 से नियमित रुप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

(ख) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाय।

(ग) विभागीय स्थापित monitoring व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य सरकार monitor. भारत सरकार के पैट्रन पर योजना monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।

12. (I). निकासी एवं व्ययन पदाधिकरियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100 प्रतिशत निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का का स्थूल स्थल नियमित निरीक्षण निर्धारित 100 प्रतिशत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरुप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा। विभागीय परिपत्रों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत निरीक्षण मात्र निर्धारित प्रतिशत सीमा जो विभिन्न पदनाम हेतु निर्धारित है, उसका पालन किया जाय।

(III) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड) को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

(IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।

(V) योजना का ब्यौरा विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाय। नियंत्री पदाधिकारी एक स्थाई प्लेटफार्म e-green watch/MGNREGA इत्यादि के पैर्टन पर तैयार करायें।

(VI) सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्ति कर्त्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थित में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

(VII) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाय।

(VIII) Income Tax (IT)/Service Tax (GST/VAT)/Mines Royality के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेगें तथा ससमय return जमा करेगें।

(IX) कंडिका– VIII के उल्लंघन में व्यक्तिगत दोष DDO का होगा।

(X) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना के कार्यान्वयन के पूर्व स्थल विशेष प्राक्कलन तैयार कर उस पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जाएगा तथा उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी।

13. (i) मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) सभी यंत्र–संयत्र एवं मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(iii) वैसे यंत्र–संयत्र, मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

14. COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ–जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवाश इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

16. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसके लिए दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना इस कार्यालय को तुरन्त देंगे। नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों।

17. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार या GeM से की जाएगी।

18. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–सह–ज्ञापांक–686, दिनांक–05.02.2016

द्वारा विभाग के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरुप कार्रवाई की जायेगी।

19. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरुप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

20. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड का पत्रांक–2341 दिनांक–04.12.2020 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समय–समय पर निर्गत योजना–सह–वित्त विभाग के आदेश/निर्देश लागू होंगे।

21. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

22. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आकड़ा वर्षवार विभागीय वेबसाईट पर फोटो के साथ डाला जाए तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध कराई जाए।

23. **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा उनके नियंत्री पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थल पर कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व संबंधित विभाग के सक्षम स्तर से अनापति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया गया है।**

जिन वन प्रमंडलों से स्थल विवरणी अप्राप्त है, उनके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं नियंत्री पदाधिकारी स्थल विवरणी उपलब्ध कराने के उपरांत ही राशि व्यय करेंगे। जिन वन प्रमंडलों के स्थलों में प्लॉट संख्या एवं जी0पी0एस0 कॉ–ऑर्डिनेटस अप्राप्त है, उनके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं उनके नियंत्री पदाधिकारी उक्त स्थलों का प्लॉट संख्या एवं जी0पी0एस0 कॉ–ऑर्डिनेटस उपलब्ध कराने के उपरांत हीं राशि व्यय करेंगे।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– 01/यो0ब0–22/2020–155 दिनांक– 26.02.2021

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/संथाल परगना, दुमका/उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू, हजारीबाग/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/ जमशेदपुर/ दुमका/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/गुमला/ जमशेदुपर/ चाईबासा/ दुमका/ एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–22/2020–**155 **दिनांक–** 28.02.2021

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची/ गुमला/ सरायकेला/ चाईबासा/ पाकुड़/ जमशेदपुर/ लातेहार/ दुमका/ सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

अनुलग्नक–1(क)

वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2023–24 तक कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत पथतट/संस्थानों आदि की भूमि पर पी0वी0सी0 जाली से निर्मित गमला गैबियन से वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य एवं तीन वर्षों के लिए समापन एवं सम्पोषण कार्यों का प्रमण्डलवार प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू0 295.80 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (गैबियन में)	वित्तीय वर्ष 2020–21 (अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			212.98	922.75	1135.73
i	ii	iii	iv	v	vi
1	राँची वन प्रमण्डल, राँची	3000	6.388	27.683	34.071
2	गुमला वन प्रमण्डल, गुमला	800	1.704	7.382	9.086
3	सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला	800	1.704	7.382	9.086
4	सारण्डा वन प्रमंडल, चाईबासा	800	1.704	7.382	9.086
5	चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा	600	1.278	5.536	6.814
6	पाकुड़ वन प्रमण्डल, पाकुड़	600	1.278	5.536	6.814
7	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर	1700	3.620	15.687	19.307
8	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार	2000	4.260	18.455	22.715
9	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका	2000	4.260	18.455	22.715
10	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेगा	1300	2.768	11.996	14.764
योग :–		**13600**	**28.964**	**125.494**	**154.458**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

अनुलग्नक–1(ख)

वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2023–24 तक कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत पथतट/संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस गैबियन से वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य एवं तीन वर्षों के लिए समापन एवं सम्पोषण कार्यों का प्रमण्डलवार प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू0 295.80 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (गैबियन में)	वित्तीय वर्ष 2020–21 (अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			612.31	458.40	1070.71
i	ii	iii	iv	v	vi
1	राँची वन प्रमण्डल, राँची	1250	7.654	5.730	13.384
2	गुमला वन प्रमण्डल, गुमला	500	3.062	2.292	5.354
3	सारण्डा वन प्रमंडल, चाईबासा	620	3.796	2.842	6.638
4	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेगा	500	3.062	2.292	5.354
5	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर	1000	6.123	4.584	10.707
6	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा	500	3.062	2.292	5.354
7	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार	1000	6.123	4.584	10.707
8	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका	1250	7.654	5.730	13.384
योग :–		**6620**	**40.536**	**30.346**	**70.882**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम– पथतट / संस्थानों आदि की भूमि पर पी0वी0सी0 जाली से निर्मित – गमला गैबियन वृक्षारोपण

गैबियन का आकार – उपर का व्यास रींग 2'.5'' बीच का व्यास रींग 2'.0'' एवं नीचे का व्यास रींग 1'.5'', ऊंचाई – जमीन से उपर 5'.3'' तथा एक फीट गहरा जमीन में एवं 9'' की पत्ती मुड़ी जो आगे से कटी हुई हो।

स्पेसिंग – पंक्ति से पंक्ति की दूरी – 3 मी0

पौधे से पौधे की दूरी – 5 मी0

कार्य दर – एक गैबियन

मजदूरी प्रति मानव दिवस: 295.80 रूपये

कम संख्या	कार्य की विवरणी	प्रति गैबियन	मानव दिवस	कुल मजदूरी, (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(A)	**वित्तीय वर्ष 2020–21 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 295.80**						
1	घेरान कार्य						
क	गैबियन हेतु हरे रंग का hexagonal आकार का पॉलीनेट (thickness of filament 4mm, thickness of joint 5.5mm, 550 GSM, Polynet @ Rs 85/sq.mtr.) का क्रय	3.5 sq.mtr	0.00	0.00	297.50	297.50	
ख	लोहे की पत्ती (5mm thick, 20mm wide, 40 feet length) का क्रय एवं गैबियन निर्माण (रू0 65/– प्रति किलो कुल 9 कि0ग्रा0)	प्रति गैबियन	0.40	118.32	485.00	603.32	
ग	गैबियन का खूँटा गाड़ने हेतु एकरेखन, आवश्यकतानुसार समतलीकरण एवं खूँटा गाड़ने हेतु 1' x 6" x 6" आकार के 3 गढ़ो को खोदना तथा पी.सी.सी. का ढ़लाई (1:3:6)	प्रति गैबियन	0.15	44.37	20.25	64.62	
घ	प्लास्टिक स्टेपलस का क्रय एवं स्टेपलस को पॉलीनेट एवं लोहे के पत्ती के साथ बाहर से बाधना।	प्रति गैबियन	0.00	0.00	20.00	20.00	
ङ.	सामान की ढुलाई प्रति गैबियन रू0 50/–	प्रति गैबियन	0.00	0.00	50.00	50.00	
च	गैबियन की लोहा पत्ती पर पाउडर कोटेड पेंट।	प्रति गैबियन	0.00	0.00	50.00	50.00	
2	मृदा कार्य : पौधा लगाने हेतु 2'x2'x2' आकार का गड्ढा बनाना एवं खोदी गई मिट्टी को समुचित स्थल पर संचित करना	प्रति गैबियन	0.17	50.29	0.00	50.29	
	योग		**0.72**	**212.98**	**922.75**	**1135.73**	
(B)	**वित्तीय वर्ष 2021–22 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 340 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2020–21 को आधार मानते हुए**						
1	पौधों का मूल्य, मृत पौधों के प्रतिस्थापन हेतु 20 प्रतिशत अतिरिक्त पौधों के प्रावधान के साथ स्थल पर ढुलाई सहित	प्रति गैबियन	0.00	0.00	25.00	**25.00**	
2	गड्ढ़े में डालने हेतु बालू एवं गोवर खाद का क्रय एवं मिश्रण बनाना (बालू, वर्मी कम्पोस्ट मिट्टी के साथ)	प्रति गैबियन	0.15	51.00	20.00	**71.00**	
3	पौधारोपण (DAP-50 ग्राम तथा कीटनाशक 4 ग्राम)	प्रति गैबियन	0.10	34.00	2.00	**36.00**	
4	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम-- 5ग्रा. युरिया5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का वदलाव	प्रति गैबियन	0.15	51.00	4.50	**55.50**	
5	पटवन (रिक्शा/ठेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	170.00	25.00	**195.00**	
6	सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	170.00	0.00	**170.00**	
7	साईन–बोर्ड एवं गैबियन नंबरिंग	प्रति गैबियन	0.00	0.00	20.00	**20.00**	
	योग		**1.40**	**476.00**	**96.50**	**572.50**	

क्रम संख्या	कार्य की विवरणी	प्रति गैबियन	मानव दिवस	कुल मजदूरी, (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(C)	**वित्तीय वर्ष 2022–23 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 391 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2021–22 को आधार मानते हुए**						
1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम– 5ग्रा. युरिया5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीयः 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीयः 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का वदलाव	प्रति गैबियन	0.15	58.65	4.50	**63.15**	
2	पटवन (रिक्शा/ठेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	195.50	5.00	**200.50**	
3	गैबियन की मरम्मती एवं सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	195.50	60.00	**255.50**	
	योग		**1.15**	**449.65**	**69.50**	**519.15**	
(D)	**वित्तीय वर्ष 2023–24 में संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 450 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2022–23 को आधार मानते हुए**						
1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम– 5ग्रा. युरिया 5ग्राम कीटनाशक; द्वितीयः 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीयः 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का वदलाव	प्रति गैबियन	0.15	67.50	4.50	**72.00**	
2	पटवन (रिक्शा/ठेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	225.00	5.00	**230.00**	
3	गैबियन की मरम्मती एवं सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	225.00	60.00	**285.00**	
	योग		**1.15**	**517.50**	**69.50**	**587.00**	
	कुल योग		**4.42**	**1656.13**	**1158.25**	**2814.38**	

नोट (1) शहरों में सड़कों के किनारे एक सड़क पर सामान्यतः एक प्रजाति को पौधों का रोपण किया जाय।
(2) गैबियन पर गैबियन संख्या अंकित की जाएगी।
(3) गैबियन में प्रकाष्ठ प्रजाति, फलदार एवं शोभाकार पौधों का रोपण किया जाएगा।
(4) प्रत्येक ग्राम के निकट पथ के दोनों तरफ कम से कम 50 फलदार पौधों का रोपण किया जाएगा।
(5) पौधों का क्रय विभागीय पौधशालाओं से करने को प्राथमिकता दी जाय।
(6) चार वर्षों की योजना समाप्ति के पश्चात् पोलीनेट जाली को खोलकर इसे recycle करने हेतु आवश्यक प्रक्रिया का अनुपालन

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनु0–2(ख)

योजना का नाम– पथतट / संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस गैबियन के साथ वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

1. बाँस–गैबियन का आकार:6'-6"x2'-6"x2'-6"

2. स्पेसिंग – पंक्ति से पंक्ति की दूरी – 3 मी0; पौधे से पौधे की दूरी – 5 मी0

3 मजदूरी दर प्रति मानव दिवस: 295.80 रूपये

कम संख्या	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस	कुल मजदूरी, (रू0 में)	सामग्री (रु0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(A)	**वित्तीय वर्ष 2020–21 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 295.80**						
1	घेरान कार्य						
क	बाँस का खूँटा –4 अदद (खूँटे की लंबाई 6'–6") एवं जाफरी हेतु बाँस (कुल 4 बाँस @ 80.00 रू. ; प्रति ग्रामीण बाँस) ढुलाई सहित	प्रति गैबियन	0.00	0.00	320.00	**320.00**	
ख	जाफरी का निर्माण एवं खूँटों में जाफरी को लगाना	प्रति गैबियन	1.00	295.80	0.00	**295.80**	
ग	खूँटों की कोलतार / ब्लैक जापान / ब्लैक पेन्ट से रंगाई	प्रति गैबियन	0.20	59.16	6.00	**65.16**	
घ	जाफरी की हरे एवं लाल पेंट से रंगाई	प्रति गैबियन	0.30	88.74	90.00	**178.74**	गर्म पेंट में डूबोकर रंगाई की जायेगी। गैबियन को एक हरा–एक लाल alternate स्थापित किया जायेगा।
ङ	गैबियन का खूँटा लगाने हेतु एकरेखन, आवश्यकतानुसार समतलीकरण एवं खूँटा लगाने हेतु 1'x1'x1'-6" आकार के 4 गढो को खोदना तथा खोदी गई मिट्टी को समुचित स्थल पर संचित करना	प्रति गैबियन	0.20	59.16	0.00	**59.16**	
च	जाफरी सहित खूँटा लगाना–4 खूँटा –20 खूँटा प्रति मानव दिवस (ढुलाई सहित)	प्रति गैबियन	0.20	59.16	15.00	**74.16**	
छ	जाफरी हेतु	प्रति गैबियन		0.00		**0.00**	
	(1) तार 100 ग्राम (67 / – रू. प्रति किलोग्राम)		0.00	0.00	6.70	**6.70**	
	(2) कांटी 300 ग्राम (69 / – रू. प्रति किलोग्राम)		0.00	0.00	20.70	**20.70**	
2	मृदा कार्य : पौधा लगाने हेतु 2'x2'x2' आकार का गड्ढा बनाना एवं खोदी गई मिट्टी को समुचित स्थल पर संचित करना	प्रति गैबियन	0.17	50.29	0.00	**50.29**	
	योग		**2.07**	**612.31**	**458.40**	**1070.71**	
(B)	**वित्तीय वर्ष 2021–22 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 340 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2020–21 को आधार मानते हुए**						
1	पौधों का मूल्य, मृत पौधों के प्रतिरथापन हेतु 20 प्रतिशत अतिरिक्त पौधों के प्रावधान के साथ स्थल पर ढुलाई सहित	प्रति गैबियन	0.00	0.00	25.00	**25.00**	छः फीट ऊँचाई के काष्ठ, फलदार एवं शोभाकार प्रजाति के Evergreen पौधे लगाए जाऐंगे
2	गड्ढे में डालने हेतु बालू एवं वर्मी कम्पोस्ट का क्रय एवं मिश्रण बनाना (बालू, वर्मी कम्पोस्ट मिट्टी के साथ)	प्रति गैबियन	0.15	51.00	20.00	**71.00**	
3	पौधारोपण (DAP-50 ग्राम तथा कीटनाशक 4 ग्राम)	प्रति गैबियन	0.10	34.00	2.00	**36.00**	
4	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम– 5ग्रा. युरिया5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीयः 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीयः 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का बदलाव	प्रति गैबियन	0.15	51.00	4.50	**55.50**	
5	पटवन (रिक्शा / ठेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	170.00	25.00	**195.00**	
6	सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	170.00	0.00	**170.00**	
7	साईन–बोर्ड एवं गैबियन नंबरिंग	प्रति गैबियन	0.00	0.00	20.00	**20.00**	
	योग		**1.40**	**476.00**	**96.50**	**572.50**	

क्रम. संख्या	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस	कुल मजदूरी, (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(C)	**वित्तीय वर्ष 2022–23 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 391 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2021–22 को आधार मानते हुए**						
1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम– 5ग्रा. युरिया5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीयः 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीयः 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का बदलाव	प्रति गैबियन	0.15	58.65	4.50	**63.15**	
2	पटवन (रिक्शा / ठेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	195.50	5.00	**200.50**	
3	बाँस गैबियन का मरम्मती एवं सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	195.50	60.00	**255.50**	
	योग		**1.15**	**449.65**	**69.50**	**519.15**	
(D)	**वित्तीय वर्ष 2023–24 में संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 450 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2022–23 को आधार मानते हुए**						
1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम– 5ग्रा. युरिया 5ग्राम कीटनाशक; द्वितीयः 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीयः 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का बदलाव	प्रति गैबियन	0.15	67.50	4.50	**72.00**	
2	पटवन (रिक्शा / ठेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	225.00	5.00	**230.00**	
3	बाँस गैबियन का मरम्मती एवं सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	225.00	60.00	**285.00**	
	योग		**1.15**	**517.50**	**69.50**	**587.00**	
	कुल योग		**5.77**	**2055.46**	**693.90**	**2749.36**	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–3(क)

वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2023–24 तक कार्यान्वित की जाने वाली ''अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण'' योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अन्तर्गत पी0वी0सी0 जाली से निर्मित गमला गैबियन से वृक्षारोपण का स्थल विवरणी

क्र0 सं0	प्रमण्डल का नाम	प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	थाना / थाना नं0	स्थल का नाम	जी0पी0एस0 कॉ–ऑर्डिनेटस	प्लॉट नं0	रकबा (गै0 मे)
1	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका	सा0वा0प्रक्षेत्र, दुमका	दुमका		लघु सिंचाई प्रमंडल कार्यालय परिसर, दुमका			2000
					योगः—			**2000**
2	गुमला वन प्रमंडल, गुमला	विशुनपुर वन क्षेत्र			मसरिया मौड से जवाहर नवोदय विद्यालय गुमला तक			800
					योगः—			**800**
3	पाकुड़ वन प्रमंडल, पाकुड	पाकुड़ वन प्रक्षेत्र, पाकुड़		पाकुड़–42	दुर्गापुर नर्सरी के सामने का मैदान	N24°37'52.90" E87°49'11.90"		600
					योगः—			**600**
4	सारण्डा वन प्रमंडल, चाईबासा	सामता प्रक्षेत्र, जराईकेला			पारोडीह से पंचपहिया तक सड़क के दोनो किनारे			200
		गुवा प्रक्षेत्र, गुवा			नुईया पेट्रोल पम्प से नुईया गाँव होते हुए लिपुंगा मोड़ तक सड़क के दोनों तरफ	N22°13'34.91" E85°23'20.20" N22°13'33.23" E85°23'49.26" N22°13'46.51" E85°23'56.95" N22°14'04.76" E85°23'57.38"		200
		ससंगदा प्रक्षेत्र, किरीबुरु			एटीएम मेघाहातुबुरु से सनसेंट पॉइंट तक सड़क किनारे	N22°06'42" E85°17'22" N22°07'04" E85°17'16"		100
					फिल्टर प्लांट रोड से मीना बाजार तक सड़क किनारे	N22°07'04" E85°17'16" N22°06'57" E85°17'16"		100
		कोयना प्रक्षेत्र, मनोहरपुर			हाथी चेक नाका मनोहरपुर से बच्चोमगुटू चेक नाका तक पी0डब्ल्यू0डी0 रोड के दोनों किनारे			200
					योगः—			**800**

क्र0 सं0	प्रमण्डल का नाम	प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	थाना/थाना नं0	स्थल का नाम	जी0पी0एस0 कॉ–ऑर्डिनेटस	प्लॉट नं0	रकबा (गै0 मे)
5	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, आदित्यपुर, जमशेदपुर	सा0वा0प्रक्षेत्र, आदित्यपुर	जमशेदपुर	जमशेदपुर	प्रखण्ड कार्यालय परिसर, जमशेदपुर	N22°75'46.95 E86°20'03.92		200
		सा0वा0प्रक्षेत्र, आदित्यपुर	गम्हरिया	सरायकेला	प्रखण्ड कार्यालय परिसर, गम्हरिया	N22°81'3475 E86°10'59.91		300
		सा0वा0प्रक्षेत्र, घाटशिला	चाकुलिया	घाटशिला–328	प्रखण्ड कार्यालय परिसर, चाकुलिया	N22°28'28.3 E86°42'56.5		300
		सा0वा0प्रक्षेत्र, घाटशिला	बहरागोड़ा	घाटशिला–896	प्रखण्ड कार्यालय परिसर, बहरागोड़ा	N22°16'30.3 E86°4'40.8		200
		सा0वा0प्रक्षेत्र, चांडिल	पटमदा	पटमदा–149	प्रखण्ड कार्यालय परिसर, पटमदा	N22°54'8.3034 E86°22'58.4482		500
		सा0वा0प्रक्षेत्र, चांडिल	कुकडु	चांडिल	प्रखण्ड कार्यालय परिसर, कुकडु			200
					योगः–			**1700**
6	राँची वन प्रमंडल, राँची	राँची पूर्वी वन क्षेत्र, महिलौंग			मध्य विद्यालय, पिस्का	N23.38406 E822974		250
					पंचायत भवन, पिस्का	N23.419219 E85.838631		70
					मध्य विद्यालय, कुसूमटिकरा	N23.414804 E85.838631		300
					सरना स्थल कुसूमटिकरा	N23.419219 E85.840097		130
					मध्य विद्यालय, कमलामाईल	N23.34574 E85.733392		250
					चन्द्रशेखर मैदान स्थित शिव मंदिर कैम्पस			250
		राँची वनरोपण प्रक्षेत्र, बेड़ो			बेड़ो प्रखण्ड कार्यालय प्रांगण			50
					ईटकी प्रखण्ड कार्यालय प्रांगण			50
		बुढ़मू वन क्षेत्र, माण्डर			करगे नावाटोली से ठाकुरगाँव	N23.507769 E85.141308		1000
		राँची वनरोपण प्रक्षेत्र, राँची			दिव्यान तालाब, मोरहाबादी	N23°23'48" E85°20'14"		100
					सरहुल नगर डी0आई0जी0 ग्राउण्ड	N23°23'12" E85°20'49"		250
					हातमा तालाब	N23°23'28" E85°19'11"		50

क्र0 सं0	प्रमण्डल का नाम	प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	थाना / थाना नं0	स्थल का नाम	जी0पी0एस0 कॉ–ऑर्डिनेटस	प्लॉट नं0	रकबा (गै0 मे)
					जतरा टॉड, संकल्प क्लब, सिन्दवार टोली	N23°24'14" E85°19'59"		100
					अमृत बिहार, बैक, कॉलोनी	N23°24'49" E85°20'56"		100
					भरम टोली	N23°25'01" E85°21'09"		50
					योग:–			**3000**
7	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, सिमडेगा	सा0वा0प्रक्षेत्र, सिमडेगा			बाँसजोर प्रखण्ड (सड़क के दोनों तरफ)			100
					जलडेगा विलियम चौक से टंगिया (सड़क के दोनों तरफ)			400
		सा0वा0प्रक्षेत्र, कुरडेग			किनकेल से कुरडेग कस्तुरबा स्कूल (सड़क के दोनों तरफ)			800
					योग:–			**1300**
8	सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला							800
					योग:–			**800**
9	चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा							600
					योग:–			**600**
10	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार							2000
					योग:–			**2000**
					सकल योग:–			**13600**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

अनुलग्नक–3(ख)

वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2023–24 तक कार्यान्वित की जाने वाली ''अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण'' योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अन्तर्गत पथतट/संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस गैबियन से वृक्षारोपण का स्थल विवरणी

क्र0 सं0	प्रमण्डल का नाम	प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	थाना/थाना नं0	स्थल का नाम	जी0पी0एस0 कॉ–ऑर्डिनेटस	प्लॉट नं0	रकबा (है0 मे)
1	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका	सा0वा0प्रक्षेत्र, दुमका	दुमका		सिद्धो कान्हु मुर्मु विश्वविद्यालय परिसर, दुमका			400
		सा0वा0प्रक्षेत्र, शिकारीपाड़ा	रानीश्वर		प्रखण्ड–सह–अंचल कार्यालय परिसर, रानीश्वर			400
		सा0वा0प्रक्षेत्र, जामताड़ा	करमाटांड		झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय, करमाटांड			450
	योगः–							**1250**
2	गुमला वन प्रमंडल, गुमला	कुरुमगढ़ वन क्षेत्र		चैनपुर–114	चैनपुर ब्लॉक			300
				डुमरी–145	रायडीह ब्लॉक			200
	योगः–							**500**
3	सारण्डा वन प्रमंडल, चाईबासा	सामता प्रक्षेत्र, जराईकेला			रिमिडीह मकरण्डा तक सड़क के दोनों किनारे			155
		गुवा प्रक्षेत्र, गुवा			रुंगटा माईन्स गेट के सामने से रुंगटा ऑफिस होते हुए लिपुंगा मोड़ तक सड़क के दोनों तरफ	N22°14'00.31" E85°23'30.17" N22°14'02.22" E85°23'40.40" N22°14'06.46" E85°23'46.55" N22°14'04.76" E85°23'57.38"		155

क्र0 सं0	प्रमण्डल का नाम	प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	थाना/थाना नं0	स्थल का नाम	जी0पी0एस0 कॉ–ऑर्डिनेटस	प्लॉट नं0	रकबा (गै0 मे)
		ससंगदा प्रक्षेत्र, किरीबुरु			माइंस गेट मघाहातुबुरु से TR गेट तक सड़क किनारे	N22°06'44" E85°17'20" N22°06'57" E85°18'01"		155
		कोयना प्रक्षेत्र, मनोहरपुर			समर्थ आवासीय विद्यालय, मनोहरपुर			30
					+2 नेहरु उच्च विद्यालय चिरिया, मनोहरपुर			125
				योगः–				**620**
4	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर, जमशेदपुर	सा0वा0प्रक्षेत्र, राजनगर (हाता)	पोटका	घाटशिला–1322	प्रखण्ड कार्यालय परिसर, पोटका	N22°62'89.11 E86°22'22.88		30
		सा0वा0प्रक्षेत्र, राजनगर (हाता)	राजनगर	राजनगर–151	प्रखण्ड कार्यालय परिसर, राजनगर	N22°621459 E86°010666		50
		सा0वा0प्रक्षेत्र, चांडिल	कुकड़ु	चांडिल	प्रखण्ड कार्यालय परिसर, कुकड़ु			300
		सा0वा0प्रक्षेत्र, चांडिल	ईचागढ़	चांडिल	प्रखण्ड कार्यालय परिसर, ईचागढ़			500
								120
				योगः–				**1000**
5	राँची वन प्रमंडल, राँची	राँची पूर्वी वन क्षेत्र, महिलौंग			चन्द्रशेखर मैदान स्थित शिव मंदिर कैम्पस			250
		राँची वनरोपण प्रक्षेत्र, बेड़ो			बेड़ो से बैरटोली सड़क मार्ग किनारे			1000
				योगः–				**1250**

क्र0 सं0	प्रमण्डल का नाम	प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	थाना/थाना नं0	स्थल का नाम	जी0पी0एस0 कॉ–ऑर्डिनेटस	प्लॉट नं0	रकबा (है0 मे)
6	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, चाईबासा	सामाजिक वानिकी प्रक्षेत्र, मझगाँव			भोण्डा उच्च विद्यालय			300
					कुण्डियाघर मध्य विद्यालय			100
					धनसारी मध्य विद्यालय			100
	योगः–							**500**
7	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, सिमडेगा	सामाजिक वानिकी प्रक्षेत्र, सिमडेगा			घुटबहार से केसरा (सड़क के दोनों तरफ)			500
	योगः–							**500**
8	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार							1000
	योगः–							**1000**
	सकल योगः–							**6620**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वितीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 01/YB-22/2020/155 दिनांक - 26-Feb-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	82365	DRNFWL013 ASHOK KUMAR DUBEY DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	1,404,200.00 रुपये चौदह लाख चार हजार दो सौ
2	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	82366	GMLFOR001 SRIKANT IFS D.F.O. GUMLA	476,600.00 रुपये चार लाख छहत्तर हजार छः सौ

योग: 1,880,800.00

क्रमिक योग: रुपये अठारह लाख अस्सी हजार आठ सौ

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

 RANCH **Run Date:** 26/2/2021

पत्र संख्या - 01/YB-22/2020/155 दिनांक - 26-Feb-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
3	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme**	82368	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSAWAN	170,400.00 रुपये एक लाख सत्तर हजार चार सौ
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA			
4	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme**	82369	SGHFOR011 CHANDRAMAOULI PRASAD SINHA D.F.O.SARANDA FOREST DIV.JFS	550,000.00 रुपये पाँच लाख पचास हजार
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA			
5	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme**	82370	SGHFOR010 SATYAM KUMAR (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV.	127,800.00 रुपये एक लाख सत्ताइस हजार आठ सौ
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA			

योग: 848,200.00

क्रमिक योग: रुपये सत्ताइस लाख उन्तीस हजार 2,729,000.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

Run Date: 26/2/2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
6	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	82371	PKRFOR001 RAJNISH KUMAR DIVISIONAL FOREST OFFICER	127,800.00 रुपये एक लाख सत्ताइस हजार आठ सौ
7	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	82372	JSRFOR116 SUNIL KUMAR D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR.	974,300.00 रुपये नौ लाख चौहत्तर हजार तीन सौ
8	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	82373	SGHFOR001 SRI. MAHALING (I.F.S.) D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	306,200.00 रुपये तीन लाख छः हजार दो सौ

योग: 1,408,300.00

क्रमिक योग: रुपये इकतालीस लाख सैतीस हजार तीन सौ 4,137,300.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND
RANCHI

पत्र संख्या - 01/YB-22/2020/155 दिनांक - 26-Feb-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
9	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	82374	LTRFOR004 SAUMITRA SHUKLA D.F.O. S.F.D LATEHAR	1,038,300.00 रुपये दस लाख अडतीस हजार तीन सौ
10	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	82377	DMKFOR003 SUSHIL SOREN (I.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA	1,191,400.00 रुपये ग्यारह लाख इनकानवे हजार चार सौ
11	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	82379	SDGAIF002 ASHOK KUMAR GUPTA DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA	583,000.00 रुपये पाँच लाख तिरयासी हजार

योग: 2,812,700.00

क्रमिक योग: रुपये उनहत्तर लाख पचास हजार 6,950,000.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND
RANCH

 Run Date: 26/2/2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
12	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	82382	DRNFWL013 ASHOK KUMAR DUBEY DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	3,341,300.00 रुपये तैतीस लाख इकतालीस हजार तीन सौ
13	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	82385	GMLFOR001 SRIKANT IFS D.F.O. GUMLA	967,400.00 रुपये नौ लाख सड़सठ हजार चार सौ
14	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	82386	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSAWAN	738,200.00 रुपये सात लाख अड़तीस हजार दो सौ

योग: 5,046,900.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड उन्नीस लाख छयानवे हजार नौ सौ 11,996,900.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
15	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme**	82388	SGHFOR011 CHANDRAMAOULI PRASAD SINHA D.F.O.SARANDA FOREST DIV.JFS	1,022,400.00 रुपये दस लाख बाइस हजार चार सौ

State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)
Centeral Scheme : NA

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme**	82391	SGHFOR010 SATYAM KUMAR (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV.	553,600.00 रुपये पाँच लाख तीरपन हजार छः सौ

State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)
Centeral Scheme : NA

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
17	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme**	82393	PKRFOR001 RAJNISH KUMAR DIVISIONAL FOREST OFFICER	553,600.00 रुपये पाँच लाख तीरपन हजार छः सौ

State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)
Centeral Scheme : NA

योग: 2,129,600.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड इकतालीस लाख छब्बीस हजार पाँच सौ 14,126,500.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND
RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
18	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	82395	JSRFOR116 SUNIL KUMAR D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR.	2,027,100.00 रुपये बीस लाख सत्ताइस हजार एक सौ
19	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	82398	SGHFOR001 SRI. MAHALING (I.F.S.) D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	229,200.00 रुपये दो लाख उन्तीस हजार दो सौ
20	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	82399	LTRFOR004 SAUMITRA SHUKLA D.F.O. S.F.D LATEHAR	2,303,900.00 रुपये तेइस लाख तीन हजार नौ सौ

योग: 4,560,200.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड छियासी लाख छियासी हजार सात सौ 18,686,700.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

 Run Date: 26/2/2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
21	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	82400	DMKFOR003 SUSHIL SOREN (I.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA	2,418,500.00 रुपये चौइस लाख अठारह हजार पाँच सौ
22	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	82403	SDGAIF002 ASHOK KUMAR GUPTA DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA	1,428,800.00 रुपये चौदह लाख अठाइस हजार आठ सौ

योग: 3,847,300.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड पच्चीस लाख चौतीस हजार 22,534,000.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV.JHARKHAND
RANCHI

 Run Date: 26/2/2021